[2019] 7 एस.सी.आर. 607

शियो शंकर दुबे एवं अन्य।

बनाम

बिहार राज्य

(2014 की आपराधिक अपील संख्या 1617)

मई 09, 2019

[अशोक भूषण और के.एम. जोसेफ, जे.जे.]

दंड संहिता 1860: एस. 302 - हत्या - हथियारों से लैस अभियुक्तों ने पीड़ित की हत्या कर दी - मुखबिर घटना स्थल से भाग गया और प्राथमिकी दर्ज की - अपीलकर्ता संख्या की दोषसिद्धि। अपराध के लिए धारा 1 से 3 तक। 302/149/148, यू/एस.एस. 302/149/147 एवं यू/एस. क्रमश: 302/147 और 379 - उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया - अपील पर आयोजित: निचली अदालतों ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने और सजा देने को उचित ठहराया - अभियोजन पक्ष का मामला उनके खिलाफ पूरी तरह से साबित हुआ - अभियोजन पक्ष के गवाह, जो मृतक-पीड़ित के साथ थे, ने पूरी घटना का प्रत्यक्षदर्शी विवरण दिया घटना - केवल इस तथ्य से कि गवाह संबंधित था, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि ऐसा गवाह एक इच्छुक गवाह था - सभी पांच आरोपियों के नाम और उनके लिए जिम्मेदार भूमिका पुलिस अधिकारियों द्वारा तुरंत दर्ज की गई - आरोपियों में से एक के नाम का उल्लेख नहीं किया गया अभियोजन पक्ष के गवाह से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह घटना में शामिल नहीं था - नेत्र साक्ष्य ने चिकित्सा साक्ष्य की पुष्टि की - घटना का मकसद साबित हुआ - गवाह - इच्छुक गवाह।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

माना गया: 1.1 पीडब्लू11, मृतक के भाई ने अपने साक्ष्य में अभियोजन पक्ष के मामले की पूरी तरह से पुष्टि की। गहन जिरह के बावजूद गवाहों को डिगाया नहीं जा सका। अपीलकर्ता की यह दलील कि गवाह पीडब्लू11 और पीडब्लू13 मृतक से संबंधित हैं, इच्छुक गवाह हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, स्वीकार नहीं किया जा सकता। केवल यह तथ्य कि मृतक मुखबिर का भाई था और पीडब्लू13 मृतक की भतीजी का पति है, किसी

भी तरह से उनके साक्ष्य पर प्रभाव नहीं डालता है। केवल इस तथ्य से कि गवाह संबंधित है, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि ऐसा गवाह एक इच्छुक गवाह है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि PW11 और PW13 मृतक से संबंधित होने के कारण, उनके साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। [पैरा 10, 12]

> ***कार्तिक मल्हार बनाम बिहार राज्य,* (1996) 1 एससीसी 614: [1995] 5 सप्ल। एससीआर 239 *; नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य* (2007) 14 एससीसी 150:[2007] 3 एससीआर 939 - संदर्भित।**

1.2 पीडब्लू5 ने अपने बयान में कहा कि सुबह 9 बजे वह एस स्थान पर गया था जहां उसने आरोपी व्यक्तियों अर्थात् आरएनडी, डीडी, जेडी और एसडी को सड़क पर भागते देखा। यह सच है कि उन्होंने अपने बयान में केवल चार लोगों के नाम का उल्लेख किया है, जिन्हें सड़क पर भागते देखा गया था. केवल इस तथ्य से कि उन्होंने आरपीडी का नाम नहीं बताया, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि आरपीडी घटना में शामिल नहीं था। ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से वह आरपीडी नहीं देख सके। जब पीडब्लू11 और पीडब्लू13, जिनके साक्ष्य पर ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी भरोसा किया है, ने स्पष्ट रूप से आरपीडी की उपस्थिति और घटना में उसकी भागीदारी को साबित कर दिया है। [पैरा 13]

1.3 चोटों की प्रकृति, विशेष रूप से सिर के पिछले हिस्से में चोट के कारण जांच रिपोर्ट दर्ज करने वाले अधिकारियों को यह विश्वास हो गया कि गोली सिर के पीछे से घुसी और मुंह से बाहर निकल गई। जांच रिपोर्ट में दर्ज उपरोक्त धारणा केवल जांच रिपोर्ट तैयार करने वाले व्यक्ति की राय थी और जांच रिपोर्ट में दर्ज उपरोक्त धारणा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई गोली नहीं पाए जाने के कारण, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि घटना घटित नहीं हुई थी। जैसा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया है। गोली से घायल होने का उल्लेख केवल जांच रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी की राय थी और किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष के मामले को झुठलाया नहीं गया जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी पीडब्लू11 और पीडब्लू13 ने साबित किया है। [पैरा 17]

1.4 पीडब्लू11 ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उनके भतीजे ने मुखिया पद के लिए आरोपी एसएसडी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसके कारण एसएसडी

अपने मृत भाई से नाराज था। ट्रायल कोर्ट ने माना कि घटना का मकसद पीडब्लू11 के मौखिक साक्ष्य और प्रदर्शनों से साबित हो गया है। [पैरा 18 और 19]

1.5 घटना के आधे घंटे के भीतर, पुलिस स्टेशन 'एस' के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, पुलिस अधिकारियों द्वारा मौके पर ही मुखबिर पीडब्लू 11 का फर्दबयान दर्ज किया गया। सुबह 9.30 बजे फर्दबेयान साबित हो गया है. जांच रिपोर्ट और जब्ती रिपोर्ट क्रमशः सुबह 10.00 बजे और 10.15 बजे मौके पर उपलब्ध कराई गई। अगले दिन एफआईआर कोर्ट में भेज दी गई। ट्रायल कोर्ट ने घटनाओं के पूरे क्रम को देखा और सही निष्कर्ष पर पहुंचा कि वास्तविक दोषियों को छोड़कर अन्य को फंसाने का मुखबिर के पास कोई अवसर नहीं था। [पैरा 20]

1.6 अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन का मामला पूरी तरह से साबित होने पर, पीडब्लू 11 के चश्मदीद गवाह, जो मृतक के साथ था, ने पूरी घटना का चश्मदीद बयान दिया है। घटना के आधे घंटे के अंदर ही पुलिस अधिकारियों ने मौके पर ही पांचों आरोपियों के नाम और उनकी भूमिका दर्ज कर ली है। चिकित्सीय साक्ष्य नेत्र संबंधी साक्ष्य की पुष्टि करते हैं। निचली दोनों अदालतों ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने और उन्हें सजा सुनाने में कोई त्रुटि नहीं की है। [पैरा 21]

<u>केस कानून संदर्भ</u>

[1995] 5 पूरक एससीआर 239	**पैरा 10**	**को संदर्भित करता है**
[2007] 3 एससीआर 939	**पैरा 11**	**को संदर्भित करता है**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2014 की आपराधिक अपील संख्या 1617।

1990 की आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 410 में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 16.07.2013 से।

अखिलेश क्र. पांडे, राजीव सिंह, प्रबुद्ध शर्मा, अधिवक्ता। अपीलकर्ताओं के लिए.

देवाशीष भारुका, रवि भारुका, सुश्री सर्वश्री, जस्टिन जॉर्ज, आदित्य सिंगला, सलाहकार। प्रतिवादी के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

अशोक भूषण, जे.

1. यह अपील तीन अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय, पटना के दिनांक 16.07.2013 के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा उनके द्वारा दायर आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 410/1990 में धारा 302 और कुछ अन्य के तहत उनकी दोषसिद्धि और सजा पर सवाल उठाया गया है। आई.पी.सी की धाराएँ बर्खास्त कर दिया गया है।

2. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 16.05.1980 को एक राज बल्लम राय, सूचक अपने भाई राज केश्वर सिंह के साथ सासाराम कोर्ट में आये। अदालत में अपना काम खत्म करने के बाद मुखबिर अपने भाई के साथ धर्मशाला के पास स्थित अपने आवास की ओर चल दिया। राज केश्वर सिंह रिक्शा पर थे और मुखबिर साइकिल पर था. राज केश्वर सिंह डबल बैरल बंदूक से लैस थे. आगे का मामला यह है कि सुबह करीब 9:00 बजे जब वे करगहर मोड़ से 50 से 60 गज पूरब पहुंचे तो मुखबिर ने देखा कि दूधनाथ दुसाध, जमादार दुसाध और राम नंदन दुसाध ने रिक्शा रोका. वे लोहबंदा से लैस थे। शियो शंकर दुबे राइफल से लैस थे और उनके भाई राम प्रवेश दुबे लाठी से लैस थे और वे भी उनके साथ थे। उन्होंने राज केश्वर सिंह को रिक्शा से नीचे खींच लिया और लोहबंदा से मारपीट शुरू कर दी। मुखिया यानी शियो शंकर दुबे ने उन्हें जल्दी-जल्दी मारने को कहा, सूचना देने वाला भाग गया। शियो शंकर दुबे ने फायरिंग की लेकिन किसी को कोई चोट नहीं आई। इसके बाद आरोपी दक्षिण दिशा की ओर भाग गये।

3. सुबह 9:30 बजे, पुलिस अधिकारी, एस.एन. घटनास्थल पर सासाराम थाने के सअनि सिंह पहुंचे, जिन्हें राज बल्लम राय ने फर्दबयान दिया. घटना स्थल पर मुखबिर द्वारा दिये गये फर्दबयान के आधार पर 05 आरोपियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी।

4. अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित करने के लिए 15 गवाह पेश किये. पीडब्लू11, मुखबिर, ने अभियोजन मामले का पूरा समर्थन किया। पीडब्लू13, राघो राम सिंह, जो एक प्रत्यक्षदर्शी भी था, ने अभियोजन मामले का समर्थन किया। पीडब्लू5 एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी था, जिसने 04 आरोपियों को मौके से भागते देखा था। अभियोजन पक्ष की ओर से औपचारिक गवाह भी पेश किये गये। मौके पर पुलिस निरीक्षक सिद्धनाथ सिंह द्वारा जब्ती भी की गई, जब्ती में चार आवेदनों की प्रति भी शामिल थी, जो जिला न्यायालय,

सासाराम में टाइप की गई थी और मृतक अपने साथ एक डायरी में ले जा रहा था, जिसमें आवेदन अंकित थे। एक्सटेंशन 3/2 से 3/5 के रूप में।

5. मौके पर जांच रिपोर्ट भी तैयार की गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्सटेंशन 4 के रूप में तैयार की गई थी। एक बचाव गवाह, डीडब्ल्यू1, दशरथ राम को भी पेश किया गया, जो 1961 से 1963 की अवधि के लिए कर्मचारियों का रजिस्टर लाया जिसमें मृतक राज केश्वर सिंह के हस्ताक्षर थे।

6. ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले और आदेश दिनांक 14.09.1990 के तहत 04 आरोपियों को दोषी ठहराया, (आरोपियों में से एक दूधनाथ दुसाध की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी। अपीलकर्ता नंबर 1 - शियो शंकर दुबे, आरोपी नंबर 3, धारा 302/149/148 आईपीसी और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। अपीलकर्ता नंबर 2 - राम प्रवेश दुबे, आरोपी नंबर 4, को धारा 302/149/147 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। तीसरे अपीलकर्ता, यानी, जमादार दुसाध, आरोपी नंबर 1 को धारा 302/147 और 379 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया था। चार आरोपियों, जिन्हें दोषी ठहराया गया था, ने उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया है। एक रामनंदन दुसाध की भी लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील, तीन जीवित अभियुक्त इस न्यायालय के समक्ष अपील में हैं।

7. अपील के समर्थन में अपीलकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि पीडब्लू 11 - सूचक अपीलकर्ता का भाई है और पीडब्लू 13 मृतक की भतीजी का पति है, सभी करीबी रिश्तेदार और इच्छुक गवाह थे, नीचे की अदालतों ने इस पर भरोसा करने में गलती की इच्छुक गवाहों की गवाही. अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप की पुष्टि करने वाला कोई स्वतंत्र गवाह नहीं होने के कारण अपीलकर्ताओं को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए और सजा नहीं दी जानी चाहिए। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि PW5, जिसने एक प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा किया था और नीचे की अदालतों के सामने गवाही दी थी कि उसने चार आरोपियों को मौके से भागते देखा था, उसने अपीलकर्ता नंबर 2, राम प्रवेश दुबे का नाम नहीं लिया है। PW5 ने राम प्रवेश दुबे का नाम नहीं लिया है, जिससे राम प्रवेश दुबे की मौके पर मौजूदगी साबित नहीं होती है और निचली अदालतों ने इस सबूत को नजरअंदाज कर दिया है। मौके पर रामप्रवेश दुबे की संलिप्तता साबित नहीं होने के कारण उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा

सकता था. आगे यह भी कहा गया है कि जांच रिपोर्ट में गोली लगने का उल्लेख किया गया है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने का कोई निशान नहीं पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की कोई चोट नहीं पाए जाने से अभियोजन पक्ष की पूरी थ्योरी असंगत है. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि अपीलकर्ता का राज केश्वर सिंह को मारने का कोई मकसद नहीं था।

8. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने अपीलकर्ता के विद्वान वकील की दलीलों का खंडन करते हुए कहा कि मुखबिर पीडब्लू11 मृतक के साथ था और उसके साक्ष्य भरोसेमंद पाए गए। निचली अदालतों ने उसके साक्ष्य पर भरोसा करने में कोई गलती नहीं की। यह प्रस्तुत किया गया है कि केवल यह तथ्य कि पीडब्लू11 और पीडब्लू13 मृतक से संबंधित हैं, किसी भी तरह से उनकी सत्यता पर सवाल नहीं उठाता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जांच रिपोर्ट में गोली लगने की चोट का उल्लेख जांच रिपोर्ट लिखने वाले व्यक्ति द्वारा निर्णय की त्रुटि के कारण था। खोपड़ी के इस तरह से कुचले जाने और हड्डियाँ टूटने से ऐसा आभास हुआ कि गोली खोपड़ी के पीछे से घुसी और मुँह से निकली, जिसे किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं कहा जा सकता। यह प्रस्तुत किया गया है कि PW5 एक भरोसेमंद गवाह है, जिसका मृतक से कोई संबंध नहीं है और उसने आरोपी को मौके से भागते हुए देखा था।

9. हमने पक्षों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

10. पीडब्लू 11, जो मृतक का भाई है, ने अपने साक्ष्य में अभियोजन पक्ष के मामले की पूरी तरह से पुष्टि की है। गहन जिरह के बावजूद गवाहों को डिगाया नहीं जा सका। अपीलकर्ता की यह दलील कि गवाह पीडब्लू11 और पीडब्लू13 मृतक से संबंधित हैं, इच्छुक गवाह हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, यह हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। केवल यह तथ्य कि मृतक मुखबिर का भाई था और PW13 मृतक की भतीजी का पति है और किसी भी तरह से उनके साक्ष्य को प्रभावित नहीं करता है। केवल इस तथ्य से कि गवाह संबंधित है, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि ऐसा गवाह एक इच्छुक गवाह है। इस न्यायालय के पास कई मामलों में इस तरह के अनुरोध पर विचार करने का अवसर है। **कार्तिक मल्हार बनाम में. बिहार राज्य, (1996) 1 एससीसी 614,** इस न्यायालय ने माना

कि एक करीबी रिश्तेदार जो एक बहुत ही स्वाभाविक गवाह है, उसे इच्छुक गवाह नहीं माना जा सकता है। पैराग्राफ संख्या 15 और 16 में, निम्नलिखित निर्धारित किया गया था: -

> "**15**. अपीलकर्ता की ओर से उठाए गए इस तर्क के संबंध में कि गवाह मृतक की विधवा थी और इसलिए, उसकी अत्यधिक रुचि थी और उसके बयान को खारिज कर दिया जाना चाहिए, हम देख सकते हैं कि एक करीबी रिश्तेदार जो प्राकृतिक गवाह है, उसे इच्छुक नहीं माना जा सकता है गवाह। 'रुचि' शब्द यह दर्शाता है कि गवाह को किसी न किसी तरह से किसी दुश्मनी या किसी अन्य कारण से आरोपी को दोषी ठहराने में कुछ प्रत्यक्ष रुचि होनी चाहिए। दलबीर कौर (एमएसटी) बनाम पंजाब राज्य, (1976) 4 एससीसी 158 में, इसे निम्नानुसार देखा गया है: (एससीसी पीपी. 167-68, पैरा 11)
>
> > "इसके अलावा, एक करीबी रिश्तेदार जो एक बहुत ही स्वाभाविक गवाह है, उसे इच्छुक गवाह नहीं माना जा सकता है। 'रुचि' शब्द यह दर्शाता है कि संबंधित व्यक्ति को यह देखने में कुछ प्रत्यक्ष रुचि होनी चाहिए कि आरोपी व्यक्ति को किसी न किसी तरह से दोषी ठहराया गया है क्योंकि या तो उसकी आरोपी के साथ कोई दुश्मनी थी या किसी अन्य कारण से। यहाँ ऐसा मामला नहीं है।"
>
> **16.** *दलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1953 एससी 364* में यह निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:
>
> > "एक गवाह को आम तौर पर तब तक स्वतंत्र माना जाता है जब तक कि वह ऐसे स्रोतों से नहीं आता है जो दागी होने की संभावना है और आमतौर पर इसका मतलब यह है कि जब तक गवाह के पास आरोपी के खिलाफ दुश्मनी जैसे कारण नहीं हैं, वह उसे झूठा फंसाने की इच्छा रखता है। आमतौर पर, कोई करीबी रिश्तेदार ही असली अपराधी को पकड़ने और किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाने में सबसे पीछे होता है। यह सच है, जब भावनाएँ चरम पर होती हैं और शत्रुता का व्यक्तिगत कारण होता है, तो दोषी के साथ-साथ किसी निर्दोष व्यक्ति को भी घसीटने की प्रवृत्ति होती है जिसके प्रति गवाह के मन में द्वेष हो, लेकिन ऐसी आलोचना और मात्र के लिए नींव रखी जानी चाहिए रिश्ते का तथ्य नींव से कोसों दूर अक्सर सच्चाई की पक्की गारंटी

होता है। हालाँकि, हम किसी व्यापक सामान्यीकरण का प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। हमारी टिप्पणियाँ केवल विवेक के एक सामान्य नियम के रूप में हमारे सामने आने वाले मामलों में अक्सर सामने आने वाली बातों का मुकाबला करने के लिए की जाती हैं। ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है. प्रत्येक मामला अपने तथ्यों तक ही सीमित और शासित होना चाहिए।"

11. आगे **नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2007) 14 एससीसी 150 में**, इस न्यायालय द्वारा पहले के निर्णयों का विस्तार से उल्लेख करते हुए उन्हीं प्रस्तावों को दोहराया गया था, इस न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या 29, 30 और 38 में उसी प्रस्तुतीकरण को खारिज कर दिया, जो निम्नलिखित प्रभाव वाले हैं: -

"29. तब यह तर्क दिया गया कि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी, पीडब्लू 6 सोपान कोई और नहीं बल्कि मृतक का बेटा था। इसलिए, वह "अत्यधिक रुचि रखने वाला" गवाह था और इसलिए, उसके बयान को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि अन्य गवाहों द्वारा भौतिक विवरण में इसकी पुष्टि नहीं की गई है। हम विवाद को कायम रखने में असमर्थ हैं. हमारे फैसले में, एक गवाह जो मृतक या अपराध के पीड़ित का रिश्तेदार है, उसे "रुचिशुदा" के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। "रुचि" शब्द यह दर्शाता है कि गवाह को किसी न किसी तरह से दुश्मनी के कारण या किसी अन्य अप्रत्यक्ष उद्देश्य के लिए आरोपी को दोषी ठहराने में कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष "रुचि" है।

30. आधी सदी से भी पहले, दलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1953 एससी 364 मामले में, इसी तरह का एक प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था। उस मामले में, उच्च न्यायालय ने पाया कि दो चश्मदीद गवाहों की गवाही की पुष्टि की आवश्यकता थी क्योंकि वे मृतक के करीबी रिश्तेदार थे। उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण पर टिप्पणी करते हुए, इस न्यायालय ने माना कि वह उक्त दृष्टिकोण से "सहमत होने में असमर्थ" है। रामेश्वर कल्याण सिंह बनाम राजस्थान राज्य, एआईआर 1952 एससी 54 में पहले के फैसले का हवाला देते हुए, उनके आधिपत्य ने देखा कि यह कई आपराधिक मामलों में आम बात थी और इसे दूर करने के प्रयासों के बावजूद, "दुर्भाग्य से यह अभी भी कायम है, यदि नहीं तो अदालतों के

फैसले, किसी भी दर पर वकील की दलीलों में" (दलीप सिंह मामला, एआईआर पृष्ठ 366, पैरा 25)।

38. उपरोक्त मामले के कानून से, यह स्पष्ट है कि किसी करीबी रिश्तेदार को "इच्छुक" गवाह के रूप में चित्रित नहीं किया जा सकता है। वह एक "प्राकृतिक" गवाह है। हालाँकि, उसके सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। यदि ऐसी जांच पर, उसके साक्ष्य आंतरिक रूप से विश्वसनीय, स्वाभाविक रूप से संभावित और पूरी तरह भरोसेमंद पाए जाते हैं, तो सजा ऐसे गवाह की "एकमात्र" गवाही पर आधारित हो सकती है। मृतक या पीड़ित के साथ गवाह का करीबी रिश्ता उसकी गवाही को खारिज करने का कोई आधार नहीं है। इसके विपरीत, मृतक के करीबी रिश्तेदार आम तौर पर वास्तविक अपराधी को बख्शने और किसी निर्दोष को झूठा फंसाने के लिए सबसे अधिक अनिच्छुक होंगे।

12. इस प्रकार, हम अपीलकर्ता की इस दलील को अस्वीकार करते हैं कि PW11 और PW13 मृतक से संबंधित हैं, इसलिए उनके साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

13. अब, अपीलकर्ता के विद्वान वकील की अगली दलील यह है कि PW5, जिसे प्रत्यक्षदर्शी माना जाता है, ने अपने बयान में केवल चार आरोपियों के नाम लिए हैं, जो उनके अनुसार, मौके से भागते हुए देखे गए थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि PW5 ने अपीलकर्ता नंबर 2, राम प्रवेश दुबे का नाम नहीं लिया। PW5 का बयान रिकॉर्ड पर लाया गया है। पीडब्लू5 ने अपने बयान में कहा कि सुबह 9 बजे वह सासाराम गया था और जब वह जीटी से रौजा रोड से लगभग पचास कदम दक्षिण की ओर गया। रोड पर, उन्होंने आरोपी व्यक्तियों राम नंदन दुसाध, दुदनाथ दुसाध, जमादार दुसाध और शंकर दुबे को रौजा रोड पर पश्चिम से पूर्व की ओर भागते देखा। यह सच है कि उन्होंने अपने बयान में केवल चार लोगों के नाम का जिक्र किया है, जिन्हें रौजा रोड पर भागते देखा गया था. केवल इस तथ्य से कि उन्होंने राम प्रवेश दुबे का नाम नहीं लिया, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि राम प्रवेश दुबे घटना में शामिल नहीं थे। ऐसे कई कारण हो सकते हैं, जिनकी वजह से वह रामप्रवेश दुबे को नहीं देख सके. जब PW11 और PW13, जिनके साक्ष्य पर ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी भरोसा किया है, ने स्पष्ट रूप से राम प्रवेश दुबे की उपस्थिति और घटना में उनकी भागीदारी को साबित कर दिया है। केवल यह तथ्य

कि पीडब्लू5 ने राम प्रवेश दुबे को भागते नहीं देखा, निर्णायक नहीं है और न ही उस आधार पर, हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि राम प्रवेश दुबे घटना में शामिल नहीं थे।

14. अब, हम अपीलकर्ताओं की एक और दलील पर आते हैं कि जांच रिपोर्ट में, यह उल्लेख किया गया था कि सिर में पीछे से गोली मुंह से बाहर आ गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई गोली लगने की चोट नहीं पाई गई। अनुलग्नक-पी42 के रूप में लाई गई जांच रिपोर्ट के कॉलम नंबर 5 में निम्नलिखित कहा गया था: -

> "ऐसा प्रतीत होता है कि सिर में पीछे से लगी गोली मुँह से बाहर आ गई है। (अस्पष्ट) भाग काट दिया गया है। आँखों पर भौंहें (अस्पष्ट) हैं। बायीं कोहनी में खरोंच की चोट है. बाएं हाथ पर भी चोट के निशान हैं. फटा हुआ।"

15. हम कॉलम नंबर 4 में जांच रिपोर्ट में दिए गए अन्य विवरणों पर भी गौर कर सकते हैं, निम्नलिखित पर ध्यान दिया गया: -

"सिर उत्तर-पूर्व दिशा में, पैर दक्षिण दिशा में, ऊपर की ओर महसूस हुआ, सिर का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, दोनों आंखें बंद हो गईं। आंख काली पड़ गई है. मुंह में भी चोट. मुँह से खून भी निकल रहा है।"

16. अब, हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आते हैं। हाईकोर्ट द्वारा फैसले के पैरा नंबर 12 में पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाली गई है। पैराग्राफ संख्या 12 में देखी गई चोटें इस प्रकार हैं:-

> **"12**. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
>
> (i) सिर के पीछे दो एकाधिक टुकड़ों में पश्चकपाल हड्डी के परिवर्तित फ्रैक्चर के साथ फटा हुआ घाव 2"X 1"। हड्डी के कुछ टुकड़े मस्तिष्क आवरण में घुस गये थे। ड्यूरामीटर के बाहर और अंदर खून का थक्का जम गया था। मस्तिष्क का संबंधित भाग नरम और घावयुक्त पाया गया। आसपास के क्षेत्र के मार्जिन को काला नहीं किया गया या गोदना नहीं किया गया।
>
> (ii) चेहरे के सामने चोट के निशान 4"X 2" जिसमें दाहिनी आंख की भौंह, दाहिनी मलेर की हड्डी और नाक का पुल शामिल है, साथ ही दाहिनी मल्लर की हड्डी, नाक की हड्डी और दाहिनी मैक्सिला में कई फ्रैक्चर हैं।

(iii) बाईं ओर और नाक के नीचे 2" x 1" चोट, बायीं मैक्सिला में फ्रैक्चर और गाल पर अंदर से 1" X 1/2" का कटा हुआ घाव।

(iv) दाहिनी ओर से मध्य रेखा तक ऊपरी होंठ का 1" x ½" घर्षण।

(v) मुंह में खून के थक्के के साथ जीभ का बायां किनारा ½" x ½" फटा हुआ कट।

(vi) बाएं घुटने पर घर्षण ½" x ½"।

(vii) बायीं बांह पर घर्षण 1" x ½"।

चोट संख्या (i), (ii) और (iii) कठोर कुंद पदार्थ के कारण गंभीर प्रकृति की हैं, लाठी और लोहबंदा हो सकती हैं।

चोट संख्या (iv), (v), (vi), (vii) प्रकृति में सरल हैं, कठोर कुंद पदार्थ से लगी हैं, लाठी और लोहबंदा हो सकती हैं। 12 घंटे के भीतर मृत्यु के बाद का समय बीत गया।

XXXXXXXXXXXXXXXXX"

17. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में जो चोटें देखी गई हैं, उन्हें देखने से पता चलता है कि सिर के पीछे दो कई टुकड़ों में ओसीसीपिटल हड्डी टूट गई थी। हड्डी के कुछ टुकड़े मस्तिष्क आवरण में घुस गये थे। दाहिनी मल्लर हड्डी, नाक की हड्डी और दाहिनी मैक्सिला का मल्टीपल फ्रैक्चर भी देखा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चोटें पाई गईं, उनकी प्रकृति से पता चलता है कि चोटों को देखकर, जांच रिपोर्ट दर्ज करने वाले अधिकारियों ने सोचा कि चूंकि सिर के पीछे दो कई टुकड़ों में ओसीसीपिटल हड्डी टूट गई है और हड्डी के कुछ टुकड़े चुभ गए हैं। मस्तिष्क के आवरण में, गोली सिर के पीछे से प्रवेश कर गई और मुंह से बाहर निकल गई, जिसे जांच रिपोर्ट में देखा गया है और जांच रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी ने नंगी आंखों से चोट देखकर अपनी राय बनाई है। चोटों की प्रकृति, विशेष रूप से सिर के पिछले हिस्से में चोट की वजह से उन्हें विश्वास हो गया कि गोली सिर के पीछे से घुसी और मुंह से बाहर निकल गई। जांच रिपोर्ट में दर्ज उपरोक्त धारणा केवल जांच रिपोर्ट तैयार करने वाले व्यक्ति की राय थी और जांच रिपोर्ट में दर्ज उपरोक्त धारणा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई गोली नहीं पाए जाने के कारण, यह निष्कर्ष नहीं निकाला

जा सकता है कि घटना घटित नहीं हुई थी। जैसा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया है। गोली से घायल होने का उल्लेख केवल जांच रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी की राय थी और यह किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष के मामले को झुठलाता नहीं है जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों पीडब्लू11 और पीडब्लू13 द्वारा साबित किया गया है।

18. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि कोई मकसद साबित नहीं हुआ। पीडब्लू 11 ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उनके भतीजे ने मुखिया पद के लिए आरोपी शियो शंकर दुबे के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसके कारण शियो शंकर दुबे अपने मृत भाई से नाराज थे। कथन के पैराग्राफ संख्या 5 में निम्नलिखित कहा गया है:-

> "5. घटना के समय अभियुक्त शिव शंकर दुबे मेरे ग्राम पंचायत गोटपार खाताडिहरी के मुखिया थे. मेरा भतीजा राम बचन सिंह मुखिया पद के लिए आरोपित शियो शंकर दुबे के खिलाफ चुनाव लड़ा था. इसी कारण शियो शंकर दुबे मेरे मृत भाई से नाराज था और सभी आरोपियों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी. इस घटना से तीन-चार दिन पहले ही बिक्रम दुसाध को जेल भेजा गया था. वह अभियुक्त दुदानाथ दुसाध और जमादार दुसाध का पूरा भाई और अभियुक्त राम नंदन दुसाध का पुत्र था। आरोपियों को इस बात का शक था कि मेरे मृत भाई ने ही उन्हें जेल में डलवाया है।"

19. पैराग्राफ संख्या 58 में, ट्रायल कोर्ट ने मकसद के बारे में चर्चा की है और यह माना है कि घटना का मकसद पीडब्लू 11 और एक्सटेंशन के मौखिक साक्ष्य से साबित हो गया है। 5 और विस्तार 5/1.

20. एक और तथ्य है, जिस पर मौजूदा मामले में गौर करने की जरूरत है. घटना 16.05.1980 को सुबह 9 बजे की है और घटना के आधे घंटे के भीतर पुलिस स्टेशन, सासाराम से पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, पुलिस अधिकारियों द्वारा मौके पर ही मुखबिर पीडब्लू 11 का फर्दबयान दर्ज किया गया था। सुबह 9.30 बजे फर्दबेयान साबित हो गया है. जांच रिपोर्ट और जब्ती रिपोर्ट क्रमशः सुबह 10.00 बजे और 10.15 बजे मौके पर उपलब्ध कराई गई। दिनांक 17.05.1980 को FIR न्यायालय को भेजी गई। ट्रायल कोर्ट ने पूरे घटना क्रम पर गौर किया है और सही निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मुखबिर के पास वास्तविक दोषियों को छोड़कर अन्य को

फंसाने का कोई मौका नहीं था। पैराग्राफ संख्या 72, 73 और 74 में, ट्रायल कोर्ट निम्नलिखित रिकॉर्ड करता है: -

> "72. वर्तमान मामले की मुख्य विशेषता यह है कि घटना 16-5-80 को सुबह 9 बजे घटित हुई। घटना स्थल पर फर्दबयान सुबह 9-30 बजे दर्ज किया गया। जांच रिपोर्ट और जब्ती सूची क्रमशः सुबह 10 बजे और 10.15 बजे घटनास्थल पर तैयार की गई थी। उसी दिन दोपहर 12.10 बजे पोस्टमॉर्टम किया गया. ये तथ्य पाठ 6 (फर्दबेयान) पाठ से सिद्ध होते हैं। 7 (जांच रिपोर्ट), एक्सटेंशन 8 (जब्ती सूची) और एक्सटेंशन। 4 (पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट).
>
> 73. एफ.आई.आर. 17-5-80 को न्यायालय भेजा गया। माना कि यह सुबह की अदालत थी और दोपहर 12 बजे अदालत बंद हो जाती है। तो एफ.आई.आर. यथाशीघ्र 17-5-80 को भेजा गया था। दिनांक 17-5-80 को एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर हिरासत में भी भेजा गया। यह तथ्य निचली अदालत की ऑर्डर शीट दिनांक 17-5-80 से सिद्ध होता है जो निचली अदालत के समक्ष इस मामले में पहली ऑर्डर शीट है।
>
> 74. उपरोक्त पैरा में वर्णित तथ्यों से मुखबिर को वास्तविक अपराधी को छोड़कर अन्य को फंसाने का कोई अवसर नहीं मिला। इसलिए यह गलत आरोप लगाने का मामला नहीं हो सकता।

21. वर्तमान मामले में अभियोजन का मामला पूरी तरह से आरोपी के खिलाफ साबित होने पर, मृतक के साथ मौजूद पीडब्लू 11 के प्रत्यक्षदर्शी ने पूरी घटना का प्रत्यक्षदर्शी बयान दिया है। घटना के आधे घंटे के अंदर ही पुलिस अधिकारियों ने मौके पर ही पांचों आरोपियों के नाम और उनकी भूमिका दर्ज कर ली है। चिकित्सीय साक्ष्य नेत्र संबंधी साक्ष्य की पुष्टि करते हैं। निचली दोनों अदालतों ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने और उन्हें सजा सुनाने में कोई त्रुटि नहीं की है। हमें नीचे दी गई अदालतों के फैसले में कोई त्रुटि नहीं दिखती। अपील में कोई दम नहीं है. अपील खारिज की जाती है.

निधि जैन अपील खारिज।

आशीष तिवारी की देखरेख में मानसी मिश्रा द्वारा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवादित।